संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1984

(संख्या: 4069 से0 14/पांच-1018-83 लखनऊ, 15, जून, 1984 ज्येष्ठ 25, 1906 शक सम्वत्)

अधिसूचना

सा0प0नि0 -- 31

चूंकि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) 18 अक्टूबर, 1982 को प्रवृत्त हुआ (

और चूंकि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, अधिसूचना संख्या 7312, अनुभाग 14/पाँच-790-81, दिनांक 31 अक्टूबर, 1982 द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 1982 से स्थापित किया गया है(

और चूंकि आचार्यों को नियुक्ति करना और सत्र तत्काल आरम्भ करना आवश्यक और समीचीन है(

और चूंकि उक्त पदों के लिये अर्हता, चयन के लिये प्रक्रिया और उस पर नियुक्त व्यक्तियों को सेवा की शर्तों को विहित करने के लिये कोई नियम या विनियम नहीं बनाये गये हैं और जिसको दृष्टि में रखते हुए उक्त पदों पर व्यक्तियों का चयन और नियुक्ति करने में कठिनाइयां अनुभव की जा रही है (

और चूंकि उक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति करना आवश्यक समझा गया है (

अतएव, अब संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) की धारा 39 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1-- (1) यह आदेश संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1984 कहा जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अर्हताएं और अनुभव — 2— आचार्य के रूप में नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव होना चाहिये:-

क-- अर्हताएं

(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम व द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग दो में सम्मिलित कोई आयुर्विज्ञान अर्हता। (उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची के भाग दो के अन्तर्गत आने वाली अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट

(2) शर्तों को भी पूरा करेंगे।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की एम0डी0 या एम0एस0 के समान कोई

(3) स्नातकोत्तर अर्हता या अति विशिष्ट विषय की मूल शाखा में उसके समकक्ष अर्हता।

अति विशिष्ट विषय जैसे डी0एम0/एम0सी0एच0 में कोई अर्हता या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता।

या

अति विशिष्ट विषय में कम से कम पांच वर्ष का कोई भी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण/अनुभव।

ख-- अनुभव

(1) आवश्यक-- अति विशिष्ट विषय की मूल शाखा में विहित स्नातकोत्तर अर्हता के पश्चात् कम से कम दस वर्ष का अध्यापन और/या शोध कार्य अनुभव जिसके

(2) अन्तर्गत अति विशिष्ट विषय में प्रशिक्षण अवधि भी है।

वांछनीय - विभागीय कार्य और शोध कार्यक्रम के प्रशासन का अनुभव।

आयु — 3-- साधारणतया कोई अभ्यर्थी 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा।

चयन की रीति — 4-- (1) अभ्यर्थियों का चयन संस्थान के निदेशक द्वारा किये गये विज्ञापन के संदर्भ में प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर किया जायेगा।

(2) चयन समिति अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार या उनके शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर करेगी।

शिथिलीकरण	5—	(1)	इस आदेश के पैरा 4 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की उत्कृष्ट शैक्षिक अर्हता, अनुभव और विशिष्ट योग्यता को ध्यान में रखते हुए, चयन समिति पत्राचार या आमंत्रण द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की अभ्यर्थिता पर विचार कर सकती है जिसने उक्त विज्ञापन के अनुसरण में अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किया हो। ऐसा करने के लिये चयन समिति को ऐसे विचलन के
		(2)	लिये कारणों को अभिलिखित करना होगा।
		(3)	यदि अपेक्षित अर्हता और अनुभव वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो चयन समिति ऐसी संस्तुतियां, जैसी वह उचित समझे, कर सकती है।
	6—		उच्च शैक्षिक अर्हता, विशिष्ट योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले अभ्यर्थियों की सेवाएं प्राप्त करने की दृष्टि से अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जा सकती है
	7--		परन्तु ऐसी वेतन वृद्धियों की संख्या तीन से अधिक नहीं होनी चाहिये।
			नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की जायेगी।
			वेतन-मान 3250-125/2-3750 रूपये होगा। महंगाई भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दिया जायेगा किन्तु कोई भी तदर्थ महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।
सेवा की शर्तें	8--		पद पूर्णतया प्रैक्टिस बंदी का (नान-प्रैक्टिसिंग) होगा।
छुट्टी	9--		विश्राम छुट्टी (सब्बैटिकल लीव) इत्यादि की स्वीकृति संस्थान के नियमों के अनुसार दी जायेगी।
आरक्षण	10--		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस निमित्त जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगा।

आज्ञा से
के0पी0 त्रिवेदी,
विशेष सचिव।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1991

(संख्या - 2228 - सेक - 14/पाँच-1028/83, टी.सी. लखनऊ: दिनांक 25 अप्रैल, 1991)

अधिसूचना

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2- जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1983 से है।

(2) ''विहित प्राधिकारी'' का तात्पर्य संस्थान के सदस्यों के सम्बन्ध में शासी निकाय, किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय से है और ऐसे अधिकारियों ओर अध्यापकों के सम्बन्ध में जिनका नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष या कुलाध्यक्ष (विजिटर) है, अध्यक्ष या राज्य सरकार के विशेष सचिव[1] से अनिम्न पद के अधिकारी से है, और संस्थान के अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में निदेशक से है।

(3) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।[2]

विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों के प्रतिनिधियों का नाम-निर्देशन (धारा 4) (1) (छ)

3-- (1) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन सदस्यों के नाम निर्देशन के प्रयोजनों के लिए, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश जिसे आगे ''निदेशक'' कहा गया है, जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, और ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये, राज्य विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों के अध्यापकों में से जो संस्थान में अध्यापन और शोध के लिए सम्मिलित किये गये, किन्हीं विषयों में विशेषज्ञ हों और जिनकी योग्यता में शोध कार्य भी हों, रिक्तियों की संख्या के पाँच गुने व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट पैनल में किसी एक राज्य विश्वविद्यालय से तीन से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।

(3) जहाँ राज्य सरकार पैनल में सम्मिलित किन्हीं एक या अधिक सदस्यों को नाम-निर्देशन के योग्य नहीं समझती है, तो वह निदेशक से उपनियम (1) के अनुसार नया पैनल प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है।

(4) नाम प्रस्तुत करते समय निदेशक एक संक्षिप्त विवरण भी अग्रसारित करेगा जिसमें पैनल में इस प्रकार सम्मिलित किए गये प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताएं और अन्य विशिष्टताएँ दर्शायी जायेगी, किन्तु उसमें अधिमान के किसी क्रम का कोई उल्लेख नहीं होगा।

---

* प्रथम संशोधित नियमावली (सं0 3237 - सेक - 14/पाँच - 1028/83 टी.सी. दि0 28.9.92
* द्वितीय संशोधित नियमावली 1993 (सं0 2866 - सेक - 14/पाँच - 1028/83 टी.सी. दि0 20.5.93
* तृतीय संशोधित नियमावली 1993 (सं0 7994 - सेक - 14/पाँच - 1028/83 टी.सी. दि0 10.11.93

1. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992 (संख्या 3237-सेक-14/पाँच-1028/83 टी.सी. दि0 28 सितम्बर, 1992 द्वारा (विशेष सचिव) से प्रतिस्थापित।

2. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992 (संख्या 3237-सेक-14/पाँच-1028/83 टी.सी. दि0 28 सितम्बर, 1992 द्वारा निविष्ट।

(5) निदेशक पैनल में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने के पूर्व संस्थान के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किए जाने के लिए उसकी सहमति प्राप्त करेगा।

(6) यदि किसी राज्य विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय से इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण या उसकी नियुक्ति किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय में किसी पद पर हो जाती है, तो इससे संस्थान से उसकी

(7) सदस्यता समाप्त नहीं होगी।

राज्य विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों के प्रतिनिधि, जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व संस्थान के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किए गये थे, अपनी

पदावधि के शेष भाग तक पद धारण करेंगे, मानो वे इस नियमावली के अधीन नाम-निर्दिष्ट किये गये हैं

सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना [धारा 5 (8)] 4- (1) संस्थान के किसी सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) के पद में कोई रिक्ति जो हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो, संस्थान के सदस्यों के यथास्थिति नाम-निर्देशन या निर्वाचन के लिए ऐसी रिक्ति की सूचना निदेशक अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की किसी आकस्मिक रिक्ति को धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति, नाम-निर्देशन या निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा।

(3) यदि कोई रिक्ति 6 माह से अधिक अवधि के लिए बिना भरी रह जाती है तो यह तथ्य अध्यक्ष और कुलाध्यक्ष (विजीटर) की जानकारी में लाया जायेगा।

संस्थान के अधिकारी [धारा 9 (छ)] 5- धारा 9 के खण्ड (छ) के अधीन निम्नलिखित भी संस्थान के अधिकारी होंगे, अर्थात्-

[(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग जो संस्थान के उपाध्यक्ष होंगे][3]

(एक) संस्थान का अपर निदेशक,

(दो) शासी निकाय द्वारा इस प्रकार पदाभिहित विभागाध्यक्ष।

कार्यपालक कुल सचिव की नियुक्ति [धारा-16 (1)] 6- कार्यपालक कुल सचिव को प्रतिनियुक्ति पर या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कार्यपालक कुल सचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाये।

शासी निकाय में नाम निर्देशन [धारा 18 (छ) और (ज)] 7. शासी निकाय में विभागाध्यक्षों और अध्यापकों का नाम-निर्देशन ज्येष्ठता के आधार पर क्रमानुसार (रोटेशन) से किया जायेगा।

विद्या परिषद में नाम-निर्देशन [धारा 20 (2) (सात) और (आठ)] 8- विद्या परिषद में सहयुक्त आचार्यों का नाम-निर्देशन ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में किया जायेगा।

चयन समितियों में नाम-निर्देशन (धारा 22 (5) और (6) 9- (1) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव[4] की श्रेणी से नीचे को न हो, धारा 22 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन गठित किसी चयन समिति का सदस्य होगा।

---

3. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, **1993** (संख्या **2866**-सेक-**14**/पाँच-**1028/83** टी.सी. दि**0 20** मई, **1993** द्वारा निविष्ट ; एवं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (तृतीय संशोधन) नियमावली, **1993** (संख्या **7994**-सेक-**14**/पाँच-**1028/93** टी.सी. दि**0 10** नवम्बर, 1993 द्वारा विलोपित।

4. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (प्रथम संशोधन) नियमावली, **1992** (संख्या **3237**-सेक-**14**/पाँच-**1028/83** टी.सी. दि**0 28** सितम्बर, **1992** द्वारा (विशेष सचिव) से प्रतिस्थापित।

(2) [कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ नाम-निर्देशन के क्रम में धारा 22 की उपधारा (5) और उपधारा (6) के अधीन गठित सम्बन्धित चयन समितियों का अध्यक्ष होगा।[5]]

निदेशक धारा 22 की उपधारा (5) और (6) के अधीन गठित समिति का अध्यक्ष होगा।[6]

बजट [धारा-25 (1)] 10- (1) प्रत्येक वर्ष के सितम्बर माह के प्रारम्भ में वित्त अधिकारी आगामी वर्ष के बजट अनुदान शासी निकाय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में वित्त समिति के माध्यम से शासी निकाय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करेगा।

(2) बजट को शासी निकाय द्वारा अनन्तिम रूप से अनुमोदित कर लिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक अनुदान और निवेश यदि कोई हो,

(3) की प्राप्ति के पश्चात् शासी निकाय बजट को अन्तिम रूप से अनुमोदित कर देगा।

आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में अन्य उपबन्धों के साथ निम्नलिखित की व्यवस्था की जायेगी:-

(एक) पूर्ववर्ती वर्ष का वास्तविक आंकड़ा।

(दो) चालू वर्ष के लिए मूल बजट अनुमान।

(तीन) चालू वर्ष के लिए 31 जुलाई के वास्तविक आंकड़े।

(4) (चार) चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट अनुमान, और

(5) (पाँच) आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान।

आयोजनागत और आयोजनेत्तर शीर्षकों के लिए पृथक-पृथक बजट होंगे।

निदेशक को इस शर्त के साथ कि आयोजनागत व्यय के शीर्षक से किसी आयोजनेत्तर व्यय का और आयोजनेत्तर व्यय के शीर्षक से किसी आयोजनागत व्यय का पुनर्विनियोजन नहीं किया जायेगा कमेटी के माध्यम से वर्ष में एक बार शासी निकाय के अनुमोदनार्थ पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव करने की शक्ति होगी।

वार्षिक रिपोर्ट [धारा 27]

11- धारा 27 में विनिर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित होगी और शासी निकाय के अनुमोदन के पश्चात् विलम्बतम् आगामी वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

अधिभार का आरोपण और उसकी वसूली [धारा-38 (2)]

12-(1) किसी ऐसे मामले में, जिसमें चाहे लेखा परीक्षा रिपोर्ट या किसी शिकायत या किसी सूचना के आधार पर या अन्यथा विहित प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई हानि, दुव्र्यय या दुरूपयोग हुआ है, जिसमें संस्थान के किसी सदस्य की प्रत्यक्ष रूप से उपेक्षा या अवचार के कारण किसी धन या सम्पत्ति का दुरूपयोजन या अनुचित व्यय सम्मिलित है, यथास्थिति, शासी निकाय, संस्थान का कोई प्राधिकारी या अन्य निकाय, संस्थान का कोई अधिकारी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से लिखित रूप में यह स्पष्टीकरण मांग सकता है कि उससे धन की ऐसी हानि, दुव्र्यय या दुरूपयोग या सम्पत्ति की हानि, दुव्र्यय या दुरूपयोग के कारण हुयी धनराशि की हानि को अधिभारित क्यों न किया जाये और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बन्धित व्यक्ति को संसूचित किये जाने के ऐसे मांगपत्र के दिनांक से एक मास के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(2) उपनियम (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता हैः-

---

5. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (प्रथम संशोधन) नियमावली, **1992** (संख्या **3237**-सेक-**14**/पाँच-**1028/83** टी.सी. दि**0 28** सितम्बर, **1992** द्वारा विलोपित। **6.** संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (प्रथम संशोधन) नियमावली, **1992** (संख्या **3237**-सेक-**14**/पाँच-**1028/83** टी.सी. दि**0 28** सितम्बर, **1992** द्वारा निविष्ट।

(एक) जहां अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है,

(दो) जहाँ अभिलिखित किये गये पर्याप्त कारणों के बिना उच्चतर निविदा स्वीकार करने पर हानि हुई हो,

(तीन) जहां संस्थान को देय किसी धनराशि का परिहार अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्धों का उलंघन करके किया गया हो,

(चार) जहाँ संस्थान के देयों की वसूली में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो,

(3) (पाँच) जहाँ संस्थान के धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए युक्तियुक्त सावधानी के अभाव के कारण उसकी ऐसी निधि या सम्पत्ति को हानि हुई हो।

किसी ऐसे व्यक्ति के लिखित अधियाचन पर जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया है, संस्थान सम्बन्धित अभिलेखों के निरीक्षण के लिए उसको आवश्यक सुविधाएं देगा। विहित प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसके स्पष्टीकरण के प्रस्तुतीकरण के लिए समय में युक्ति-युक्त वृद्धि करेगी। यदि उसका समाधान हो जाय कि आरोपित व्यक्ति अपने नियंत्रण से परे कारणों से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने में असमर्थ रहा है।

<u>स्पष्टीकरण:</u>

अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति करना कदाचार समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बन्धित व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान संस्थान के धन की हानि, दुव्र्यय या दुरूपयोजन समझा जायेगा।

(4) विहित या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पश्चात् और समय के भीतर प्राप्त स्पष्टीकरण यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् विहित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को उस धनराशि के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग से अधिभारित कर सकता है इसके लिए ऐसा व्यक्ति उसकी राय में दायी हो,

प्रतिबन्ध यह है कि दो या अधिक व्यक्तियों की उपेक्षा या कदाचार के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि, दुव्र्यय या दुरूपयोजन के मामले में प्रत्येक ऐसा व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से दायी होगाः

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई व्यक्ति ऐसी हानि, दुव्र्यय या दुरूपयोजन के होने के 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या यथास्थिति संस्थान या संस्थान के शासी निकाय,

(5) किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य, संस्थान का अधिकारी, अध्यापक या कर्मचारी न रह जाने के दिनांक से 6 वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, किसी हानि, दुव्र्यय या दुरूपयोजन के लिया दायी नहीं होगा।

(6) विहित प्राधिकारी द्वारा पारित अधिभार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस दिनांक से जब ऐसा आदेश उसको संसूचित किया जाये, 30 दिन के भीतर सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपील कर सकता है। सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

ऐसा व्यक्ति जिसे अधिभारित किया गया है, उस दिनांक से जब उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश उसको संसूचित किया जाये, 60 दिन के भीतर अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगाः

प्रतिबन्ध यह कि जहाँ विहित प्राधिकारी द्वारा पारित अधिभार के आदेश के विरूद्ध उपनियम (6) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो, वहाँ उस व्यक्ति से जिसने अपील की है, धनराशि की वसूली की कार्यवाही सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तब तक स्थगित की जा सकती है जब तक कि अपील अन्तिम रूप से विनिश्चित न कर दी जाये।

(7) यदि उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिभार की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल की जायेगी।

(8) जहाँ किसी न्यायालय में अधिभार के आदेश पर आपत्ति करने के लिए कोई वाद संस्थित किया जाये और विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार ऐसे वाद में प्रतिवादी हो, वहाँ वाद का प्रतिवाद करने में हुए समस्त व्यय का भुगतान संस्थान द्वारा किया जायेगा।

[नियम 4 (1) देखिए]

अनुसूची

धारा के अधीन रिक्ति	प्राधिकारी जिसे सूचित किया जायेगा।
4(1) (च)	राज्य सरकार।
4(1) (छ)	राज्य सरकार।
4(1) (ज)	चिकित्सा विभाग में राज्य सरकार के माध्यम से, यथा स्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति।
4(1) (झ)	राज्य सरकार।
4(1) (ञ)	राज्य सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार।
4(1) (ट)	राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार।
4(1) (ठ)	राज्य सरकार।
4(1) (ड)	राज्य सरकार।

आज्ञा से,
एस0पी0 आर्य, सचिव।

THE SANJAY GANDHI POST-GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

(REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitutions, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4069/Sec.14/V-1018-83, dated June 15, 1984:

(No. 4069/Sec.14/V-1018-83, dated June 15, 1984)

Whereas the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983 (U.P.) Act no. 30 of 1983) came into force on October 18, 1982;

And whereas the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow has been established with effect from October 31, 1982 by notification no. 7312/Sec./14/V-790-81, dated October 31 1982;

And whereas it is necessary and expedient to appoint Professors and start the session immediately;

And whereas no rules or regulation prescribing qualifications, the procedures for selection for the said posts and conditions of service of persons appointed therto have been made and that in view whereof difficulties are being experienced in selection and appointment of persons to the said posts;

And whereas it is considered necessary to make ad hoc appointment to the said posts;

Now, therefore, in exercise of the powers under section 39 of the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act,1983 (U.P. act no. 30 of 1983), the Governor is pleased to make the following Order:

Short Title and commencement	1. (1) this order may be recalled the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences (Removal of Difficulties) Order, 1984. (2) it shall come into force at once.
Qualification and experience	2. A candidate for appointment as Professor must possess the following qualifications and experience: **A-Qualifications** (1) A medical qualification included in the first or Second Schedule or Part II of the Third Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956. [Persons possessing qualifications in-cluded in Part II of the Third Schedule of the said Act shall also fulfill the conditions specified in sub-section(3) of section13 of the Act aforesaid] (2) A post-graduate qualification like M.D. or M.S. of a recognized University or qualifications equivalent thereto in parent branch of super speciality. (3) A qualification in super specialty such as D.M./M.Ch. or recognized qualification equivalent therto, Or A recognized training experience in super specialty of atleast five years. (1) Essential- Teaching and/or research experience of atleast ten years after prescribed post-graduate qualification in parent branch of the super specialty including training period in the super specialty. (2) Desirable- Experience in administration of Departmental work and research programme.
Age	3. A candidate shall ordinarily be not more than 50 years of age.
Mode of Selection	4. (1) The selection of the candidate shall be on the basis of applications received in response to advertisement made by the Director of the Institute. (2) The Selection Committee shall select the candidates on the basis of an interview or their academic records.
Relaxation	5. (1) Notwithstanding anything in paragraph 4 of this order, having regard to the outstanding academic qualifications, experience, and exceptional merit of a person the selection committee may consider the candidature of any such person by negotiation or invitation who may not have submitted his application in pursuance of the said advertisement. For so doing the Selection Committee will have to record in writing reasons for such deviation.

(2) In case of non-availability of candidate of requisite qualifications and experience, the Selection Committee may make such recommendations as it may deem fit.
(3) With a view to procuring the services of candidates of high academic qualifications, exceptional merit and outstanding achievement, advance increments may be sanctioned provided the number of such increments do not exceed three.

6. Appointment shall be made purely on ad hoc basis.

7. The scale of pay will be Rs. 3250-125/2-3750
Dearness allowance will be paid at the rate admissible employees of the State Government, but no ad hoc dearness allowance shall be payable.

8. The post will be entirely non-practicing.

Conditions of Service

9. Grant of Sabbatical leave etc. will be provided as per Institutes rules.

Leave

Reservation

10. Reservations for candidates belongings to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other reserved categories shall be according to orders of the State Government issued in this behalf from time to time.

By Order,
K.P. Trivedi,
Vishesh-Sachiv

SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES RULES, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3)of article 340 of the Constitutions, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification no. 2228 Sec-14/V-1028/TC dated 25 April, 1991.

In exercise of the powers conferred by section 40 of the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983 (U.P. Act no. 30 of 1983) the Governor is pleased to make the following rules:-

Short title and Commencement

1. (1) these rules may be called the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Rules, 1991.

(2) They shall come into force at once.

Definitions

2. In these rules, unless repugnant to the subject or the context:-

(i) "Act" means the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983.

(ii) "Prescribed Authority" means in relation to members of the Institute Governing Body, any authority or other body and officers and teachers in respect of whom the Visitor or the President is the appointing authority, the President or an officer not below the rank of **Special Secretary** to the State Government appointed by the President and in relation to the other employees of the Institute, the Director.

(iii) 'Section' means sections of the Act.

Nomination of representatives of medical Faculties Universities {Sec 4 (1) (g)}

3. (1) For the purposes of nomination of members under clause (g) of sub section (I) of section 4, the Director Medical Education and Training, Uttar Pradesh, hereinafter in this rule referred to as Director whenever so required, and before such date as may be specified in this behalf, by the State Government, shall prepare and submit to the State Government a panel of persons five times the number of vacancies, from amongst the teachers of the medical faculties of State Universities having specialization and research work to their credit in one of the subjects included for teaching and research in the Institute.

(2) The panel referred to in sub-rule (I) shall not have more than three person from any one State University.

(3) Where the state government does not consider any one or more persons included in the panel fit for nomination, it may require the Director to submit a fresh panel in accordance with sub-rule (l).

(4) While submitting the names of the Director shall also forward a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the person so included in the panel but shall not indicate any order of preference.

(5) The Director shall obtain consent of the person for being nominated as a member of the Institute before including his name in the panel.

- **First Amended Rules 1992 issued by No. 3237-Sec-14/V-1028/83 T.C. Dt. 28.9.92**
- **Second Amended Rules 1993 issued by No. 2866-Sec-14/V-1028/83 T.C. Dt 20.5.93**
- **Third Amended Rules 1993 issued by No. 7994-Sec-14/V-1028/83 T.C. Dt. 10.11.93**

1. Substituted by (Special Secretary) vide Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences (First Amendment) Rules 1992 (No. 3237-Sec-14/V-1028/83, T.C. Dt. 28 September 1992)
2. Incorporated by Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences(First Amendment) Rules 1992 (No. 3237-Sec-14/V-1028/83, TC Dt. 28 September 1992)

(6) If a person so nominated from the medical faculty of a State University is transferred or appointed to any post in the medical faculty of another State University, it will not result in cessation of his membership of the Institute.

(7) The representatives of the medical faculties of State Universities nominated as members of the Institute before commencement of these rules shall not hold office for the remainder of their term as if nominated under these rules.

Filling of Vacancies of members (Sec. 5 (8))

4. (1) Any vacancy in the office of a member of the institute (other than the ex-officio member) which has occurred or is likely to occur, shall be expeditiously intimated by the Director to the appropriate authority specified in the schedule for nomination or election, as the case may be, of the members of the Institute in such vacancy.

(2) Any casual vacancy of a member other than ex-officio member, shall be filled by nomination or election, as the case may be, in accordance with the provisions of

Section 4.
(3) In case any vacancy remains unfilled for a period of more than six months, the fact shall be brought to the notice of the President and the Visitor.

Officers of the Institute (Sec.9 (g)

5. The following shall also be the officers of the Institute, under clause (g) of section 9 namely:
[(i) The secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Medical Education Department, who shall be the Vice President]
(i) Additional Director of the Institute.
(iii) Heads of the Department so designated by the Governing Body.

Appointment of Executive Registrar Sec. 16 (l)

6. The Executive Registrar may be appointed on deputation or by direct recruitment. The terms and conditions of service of the Executive Registrar shall be such as may be prescribed by the regulations.

Nomination of Governing Body (Sec 18 (g)and (h)

7. The nomination of heads of the Departments and teachers to the Governing Body shall be made by rotation in order of seniority.

Nomination to Academic Board [Sec. 20 (2) (vii) and (viii)]

8. The Nomination of Associate Professors and Assistant Professors to the Academic Board shall be made by the rotation in order of seniority.

Nomination to Selection Committee [Sec. 22 (5) and (6)]

9. (1) The Secretary to the State Government in the Medical Education or his nominee not below the rank of Special Secretary shall also be a member of any Selection Committee constituted under sub-section (5) or sub section (6) of section 22

---

3. Incorporated by SGPGIMS (Second Amendment) Rules 1992 { No. 2866-Sec-14/V-1028/83, T.C. Dt. 20 May, 1993); and deleted by SGPGIMS (Third Amendment) Rules 1993 (No. 7994-Sec-14/V-1028/83,T.C. Dt. 10 November, 1993.
4. Incorporated by vide Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences(First Amendment) Rules 1992 (No. 3237-Sec-14/V-1028/83, TC Dt. 28 September 1992)

(2) [One of the two experts, in the order of nomination, nominated by the Visitor shall be the Chairman of the respective Selection Committee Constituted under sub-section (5) and sub-section (6) of section 22.]
Director shall be the Chairman of the respective Selection Committee Constituted under sub-section (5) and sub-section (6) of section 22

Budget (Sec. 25 (1)

10. (1) Early in September in each year, the Finance Officer shall prepare Budget Estimates for the ensuing year in the form as specified by the Governing Body, for submission to it through Finance Committee.
(2) The Budget after being tentatively approved by the Governing Body shall be submitted to the State Government. After receipt of the Grants-in-Aid and directions if any, the Governing Body shall finally approve the budget.
(3) The Budget Estimates for the ensuing year amongst other provisions shall Provide for:
(i) the actual of the preceding year,
(ii) the original Budget Estimates for the current year,
(iii) the actual upto July 31 for the current year,
(iv) the revised Budget Estimates for the current year,
(v) the proposed Budget Estimates for the ensuing year.

(4) There shall be separate Budget for the Non-Plan and Plan Heads.
(5) The Director shall have the power to propose re-appropriation for approval of the Governing Body through Finance Committee once in the year subject to the condition that; no re-appropriation shall be made on Non-Plan Expenditure to a Head of Plan Expenditure and Vice-Versa.

Annual Report (Sec. 27)

11. The annual report referred to in Section 27, shall relate to the year ending on March, 31 and shall, after its approval by the Governing Body, be submitted to the

State Government not later than September 30, of the following financial year.

Imposition to and recovery of surcharge [Sec. 38 (2)]	12. (1) In any case where the Prescribed Authority, whether on the basis of audit report, or any complaint or any information or otherwise is of the opinion that there has been a loss, waste of misapplication which includes misappropriation or unjustifiable expenditure of any money or property as a direct consequence of negligence or misconduct of a member of the Institute Governing Body, and authority or other body of the Institute, as the case may be, an officer, teacher or other employee of the Institute, be may call upon such person to explain in writing as to why he should not be surcharged with the amount to such loss, waste or misapplication of money or the amount which represents the loss, waste or misapplications of property and such explanation will be furnished within one month from the date of such requisition is communicated to the person concerned.

18. Substituted by Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences (First Amendment) Rules 1992 (No. 3237-Sec-14/V-1028/83, T.C. Dt. 28 September 1992)
19. Incorporated by vide Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences(First Amendment) Rules 1992 (No. 3237-Sec-14/V-1028/83, TC Dt. 28 September 1992)

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-rule (1), the Prescribed Authority may call for the explanation in the following cases:

(i) Where expenditure has been incurred in contravention of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder;

(ii) Where loss has been caused by acceptance of a higher tender without sufficient reasons recorded in writing;

(iii) Where any sum due to the Institute has been remitted in contravention of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder;

(iv) Where loss has been caused to the Institute by neglect in realizing its dues;

(v) Where loss has been caused to the funds or property of the Institute on account of want of reasonable care for the custody of such money or property.

(3) On the written requisition of the person from whom an explanation has been called, the Institute shall give him necessary facilities for inspection of the connected records. The Prescribed Authority on an application from the person concerned, allow a reasonable extension of time for submission of his explanation if he is satisfied that the person charged has been unable, for reasons beyond his control, to inspect the connected records for the purpose of furnishing his explanation.

EXPLANATION: Making of an appointment in contravention of the Act or the Rules of Regulations made thereunder shall amount to misconduct and payment to the person concerned of salary or other dues on account of such irregular appointment will be deemed to be a loss, waste or misapplication of the Institute money.

(4) After the expiry of the period prescribed or extended and after considering the explanation, if any, received within time, the Prescribed Authority may surcharge the person with the whole or a part of the sum for which such person may, in his opinion, be liable:

Provided that in the case of loss, waste or misapplication accruing as a result of negligence or misconduct of two or more persons each such person shall be jointly and severally liable:

Provided also that no person shall be liable for any loss, waste or misapplication after the expiry of ten years from the occurrence of such loss, waste or misapplication or after the expiry of six years from the date of his ceasing to be a member of the Institute Governing Body, any authority or other body of the Institute or as the case may be, an officer, teacher or employee of the Institute, whichever is later.

(5) A person aggrieved by an order of surcharge passed by the Prescribed Authority may prefer an appeal to the Secretary to Government of Uttar Pradesh in Medical Education Department within thirty days from the date on which such order is communicated to him. The decision of the Secretary to Government of Uttar Pradesh in Medical Education department shall be final.

(6) The person who has been surcharged shall pay the amount of surcharge within sixty days from the date on which the order passed under sub-rule (4) is communicated to him:

Provided that where an appeal has been preferred under sub-rule(6) against the order of surcharge passed by the Prescribed Authority the proceeding for recovery or the amount from the person who has preferred the appeal may be stayed by the Secretary to Government of Uttar Pradesh in Medical Education Department until the appeal has been finally decided.

(7) If the amount of surcharge is not paid within the period specified in sub-rule (7) it shall be recoverable as arrears of land revenue.

(8) Where a suit is instituted in a court to question an order of surcharge and the Prescribed Authority or the State Government is a defendant in such a suit, all costs incurred in defending the suit shall be paid by the Institute.

SCHEDULE
(See Rule 4 (1)

Vacancy under Section	Authority to be informed
I	II
4 (1) (f)	State Government
4 (1) (g)	State Government
4 (1) (h)	Speaker of the Vidhan Sabha or the Chairman of Vidhan Parishad, as the case may be, through the State Government in the Medical Department.
4 (1) (i)	State Government
4 (1) (j)	Ministry of Health, Government of India through the Sate Government
4 (1) (k)	Government of India through the State Government
4 (1) (l)	State Government
4 (1) (m)	State Government

By Order
S.P. Arya
Secretary